परिपत्र संख्या 1/1/2017-जीएसटी

फ़ा.संख्या No. 349/75/2017-जी एस टी
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक, 26 जून 2017

सेवा में,
प्रधान मुख्य आयुक्त /मुख्य आयुक्त/प्रधान आयुक्त/आयुक्त केन्द्रीय कर (सभी)/महानिदेशक सिस्टम
महोदया/ महोदय,

विषय:-केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन एंड कोम्पोजीशन लेवी के प्रावधानों से संबन्धित यथोचित अधिकारी - की बावत ;

केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017(2017 का 12) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा2 के उप - वाक्य (91) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, समेकित माल एवं सेवा कर अधिनियम,2017 (2017 का 13) की धारा 20 के साथ पठित और उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के अधीन रहते हुये, यह बोर्ड , एतदद्वारा, निम्न सारिणी के कालम (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, जो कि उक्त सारिणी के कालम (3) में दी गयी संबन्धित प्रविष्टि में दिये गए हैं,के संबंध में यथोचित अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करता है, यथा ;-

<u>सारिणी</u>

क्रम संख्या	**निर्दिष्ट अधिकारी**	**केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कार्य**
(1)	(2)	(3)
1.	सहायक या उप-आयुक्त, केंद्रीय कर और सहायक या उप-निदेशक , केन्द्रीय कर	i. धारा 10 की उप-धारा (5) ii. धारा 27की उप-धारा (1) का परंतुक iii. धारा 30 iv. नियम 6 v. नियम 23 vi. नियम 25

2.	केन्द्रीय कर अधीक्षक	i. धारा 25 की उप-धारा (8) ii. धारा 28 iii. धारा 29 iv. नियम 9 v. नियम 10 vi. नियम 12 vii. नियम 16 viii. नियम 17 ix. नियम 19 x. नियम 22 xi. नियम 24

2. यह निवेदन है कि इस परिपत्र की विषयवस्तु को विज्ञापित करने हेतु उपयुक्त व्यापार सूचना पत्र जारी किए जाएँ ।

3. उपर्युक्त निर्देशों के क्रियान्वयन में यदि कोई परेशानी आ रही हो तो उसे कृपया बोर्ड की जानकारी में लाया जा सकता है ।

(उपेंद्र गुप्ता)
आयुक्त (जी एस टी)